भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 TP/CP/NCST/2016/4

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 05-12-2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखंड)

2. सचिव,
अनुसूचित जनजाति विभाग,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखंड)

3. जिला कलेक्टर,
जिला-पश्चिम सिंहभूम,
मुख्यालय-चाईबासा
झारखंड

4. जिला पुलिस अधीक्षक,
जिला- पश्चिम सिंहभूम,
मुख्यालय-चाईबासा
झारखंड

5. जिला कलेक्टर,
जिला-जमशेदपुर,
झारखंड

6. जिला पुलिस अधीक्षक,
जिला-जमशेदपुर,
झारखंड

विषयः आयोग द्वारा पश्चिम सिंहभूम एवं जमशेदपुर, झारखंड दिनांक 02.06.2016 से 12.06.2016 तक किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डा0 रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा पश्चिम सिंहभूम एवं जमशेदपुर, झारखंड दिनांक 02.06.2016 से 12.06.2016 तक किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(वी.पी.शाही)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 (झारखंड) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. सभी एकक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्यालय।
3. एसएसए, एनआईसी - 560

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संख्याःटीपी/सीपी/एनसीएसटी/2016/4

डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 02/06/2016 से 12/06/2016 तक पश्चिम सिंहभूम एवं जमशेदपुर जिले के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट निम्नवत हैं ।

माननीय अध्यक्ष के राजकीय प्रवास के दौरान श्री चेतन कुमार शर्मा, अन्वेषक तथा श्री सुखदेव, वैयक्तिक सहायक भी साथ रहें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 03/06/2016 को बेरो ब्लॉक, राँची में आयोजित जनजातीय मेले **"पडहा मेला"** में सहभागिता की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 06/06/2016 को पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा आगमन पर जिला उपायुक्त श्री अबूबाकेर सिद्धिकी, पुलिस अधीक्षक, श्री माईकल राज, जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्री संलग भूईया, ब्लॉक विकास अधिकारी श्री मुकेश तथा अन्य पदाधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया ।

अपरान्ह में परिसदन में जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से जनजातीय समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । सभी प्रतिवेदन संबंधित अनुसंधान एकक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश सहित अग्रेसित कर दिये गये है ।

दिनांक 07/06/2016 को माननीय अध्यक्ष द्वारा जनजातीय गाँवों की समस्याओं के अवलोकन, आदिवासी गाँवों के विकास, अत्याचार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जनजातीय गाँवों में चलाई जा रही परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये क्षेत्रीय दौरा किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

1. ग्राम सियाल जोड़ा
   प्रखण्ड हाटगम्हरिया
   जिला पश्चिम सिंहभूम

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. **गाँव की भौगोलिक स्थितिः-** सियालजोड़ा गाँव के उत्तर में ग्राम कुईड़ा, दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में प्रखण्ड जगन्नाथपुर है । गाँव के समीप देव नदी बहती है ।

3. **गाँव की जनांकिंकीः-** सियालजोड़ा **"हो "** आदिवासी गाँव है । जिसमें कुल 155 आवास है । ग्राम की कुल जनसंख्या 950 है, जिसमें से 893 **"हो "** समुदाय (जनजाति) 06 अनुसूचित जाति तथा 51 पिछड़ी जाति के लोग रहते है ।

4. **शिक्षाः-** सियालजोड़ा का साक्षरता प्रतिशत 78 प्रतिशत है । ग्राम में दो प्राथमिक विद्यालय है । ग्राम सियालजोड़ा कुल 4.5 किलोमीटर की परिधि में 4 टोलो में फैला हुआ है । बच्चों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम में दो विद्यालय एक राजकीय विद्यालय तथा दूसरा अभियान विद्यालय खोला गया है । अभियान विद्यालय में मुख्यतः विद्यालय से वंचित बच्चों को जोड़ा गया है । जिनकी संख्या 83 है । दोनों ही विद्यालयों में गणवेश, पोषाहार तथा पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती है ।

सियालजोड़ा ग्रामसभा के दौरे के दरम्यान अध्यक्ष महोदय ने आदिवासी बालिकाओं से पठन करवा कर अध्ययन की गुणवता को परखा । दोनों ही विद्यालयों में दो-दो अध्यापक पदस्थ है जोकि कक्षा 1 से 5 तक का कार्य देखते है । राज्य शिक्षा नीति के

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 के अनुसार इन विद्यालयों में उपयुक्त आनुपातिक स्थिति ठीक नहीं है ।

सभा में शिक्षिका श्रीमती दमयन्ती द्वारा अवगत कराया कि कुछ परिवार अभी भी अपने बच्चों को विद्यालय नियमित रूप से नहीं भेजते है । जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाते हुये बालक/बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिये प्रोत्साहित किया गया । दोनों ही विद्यालय शौचालय की सुविधाओं से युक्त है, परन्तु अभियान विद्यालय में पानी की सुविधा का अभाव है । जिसकी व्यवस्था के संदर्भ में प्रखण्ड विकास अधिकारी ने तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया ।

श्री सोमनाथ बांकिरा, प्रखण्ड विकास अधिकारी हाटगम्हरिया ने अवगत कराया कि गाँव में इन्दिरा आवास योजना के 32 लाभुक परिवार है । अनुसूचित जनजाति के कुल 6 व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जा रही है । अनुसूचित जनजाति की 35 महिलाओं द्वारा विधवा सम्मान पेंशन योजना हेतु आवेदन किया गया है, जोकि स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है ।

गाँव में कुल 210 जॉब कार्डधारी है, जिन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है । सभी परिवारों के बैंक में खाते खुलवाये जा चुके है तथा सभी घरों में शौचालयों का भी निर्माण करवाया गया है । गाँव के 99 प्रतिशत परिवारों की आजिविका कृषि पर आधारित है । गाँव में 01 आंगनवाड़ी, एक जनवितरण दुकान तथा एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है ।

गाँव की मुखिया श्रीमती खुशबू हेम्ब्रम तथा ग्राम मुण्डा श्री गोपाल हेम्ब्रम ने ग्राम सभा बैठक में अवगत कराया कि ग्राम में कुल 11 महिला समितियाँ है, जिन्हें झारखण्ड

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसायटी द्वारा प्रायोजित, प्रशिक्षण एवं बजट उपलब्ध कराया जा रहा है । ग्राम में 5 स्वयं सहायता समूह भी है, जिनमें से केवल 3 ही सक्रिय है । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं महिला समितियों के सदस्यों से व्यवसायिक गतिविधियों तथा प्रशिक्षण क्यों प्राप्त किया जैसे प्रश्न पूछने पर कोई भी सकारात्मक जवाब एवं समितियों के लेखा हिसाब का संधारण भी कैसे किया जायेगा, इसका सही जवाब प्राप्त नहीं हुआ ।

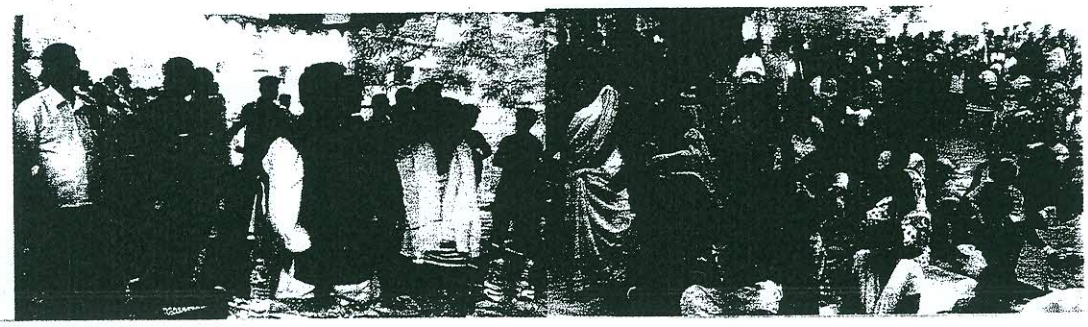

अतः आयोग द्वारा सभी समितियों को उचित प्रशिक्षण, व्यवसाय निर्धारण (रूचि के अनुसार) तथा सभी सदस्यों की समान सहभागिता वालों की समितियां बनाने का सुझाव दिया ।

ग्राम सभा में ग्रामीणों ने तोपापी टोला की आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल अनुपलब्धता तथा गाँव की राजकीय भूमि पर अन्य गाँव के लोगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे तथा गाँव के भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु राजकीय भूमि से आबंटन नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई । जिस पर माननीय अध्यक्ष ने विकास प्रखण्ड अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया ।

ग्रामीणों द्वारा समय पर विद्यालयों में अध्ययन सामग्री वितरण नहीं होने की भी शिकायत दर्ज करवाई । बावासाही टोला में भी विद्युत आपूर्ति नहीं होना पाया गया । प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल 75 आवेदन प्राप्त होना तथा 20 दावे स्वीकृत होना बताया गया । ग्रामीणों द्वारा अभी तक सामुदायिक दावे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा)

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग द्वारा दिनांक 07/06/2016 को ही प्रखण्ड हाटगमरिया के ग्राम कुईड़ा का दौरा किया गया ।

100 घरों वाले ग्राम कुईड़ा में सभी परिवार अनुसूचित जनजाति के है । गाँव में उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 5 अध्यापक पदस्थापित है । गाँव पक्की सड़क से जुडा हुआ है तथा पानी की टंकी बनी हुई है परन्तु पानी की मोटर चोरी हो जाने के कारण काम में नहीं आ रही है । गाँव में पानी की सुविधा के लिये चापाकल भी है ।
गाँव में 10 महिला समूह तथा 3 स्वयं सहायता समूह भी है परन्तु किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जा रही है । गाँव में एक आंगनबाड़ी है ।

ग्रामवासियों ने सिंचाई हेतु चैक डैम/इनटेक कुआँ बनाते हुये लिफ्ट सिंचाई की आवश्यकता बताई । ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता भी बताई । गाँव को अभी तक सामुदायिक दावा वन अधिकार अधिनियम के तहत नहीं मिला है ।

(अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा)

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग द्वारा इसके बाद ग्राम पंचायत बड़ानन्दा, प्रखण्ड जगन्नाथपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम के पंचायत सभा भवन में ग्रामीणों तथा प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों से जनजातीय समस्याओं पर चर्चा की ।

बैठक के आरम्भ में श्री कानूराम, मुखिया, बड़ानन्दा तथा अन्य जनजातीय प्रतिनिधियों ने पुष्पहार द्वारा माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया । जिला प्रशासन की ओर से प्रखण्ड विकास अधिकारी जगन्नाथपुर एवं तहसीलदार जगन्नाथपुर ने भी पुष्पगुंछ भेंट कर माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया ।

प्रखण्ड विकास अधिकारी जगन्नाथपुर ने माननीय आयोग को जनजातीय ग्राम बड़ानन्दा से परिचय करवाया ।

ग्राम बडानन्दा
प्रखण्ड जगन्नाथपुर
जिला पश्चिम सिंहभूम

ग्राम बड़ानन्दा की कुल जनसंख्या 1496 है, जिसमें से 80.88 प्रतिशत जनजातीय परिवार है । 286 परिवार सामान्य एवं अन्य समुदायों से है । अनुसूचित जनजाति के परिवारों की जनसंख्या 1210 है तथा कुल 310 परिवार ग्राम बड़ानन्दा में निवास करते हैं ।

रामेश्वर 3/16
डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

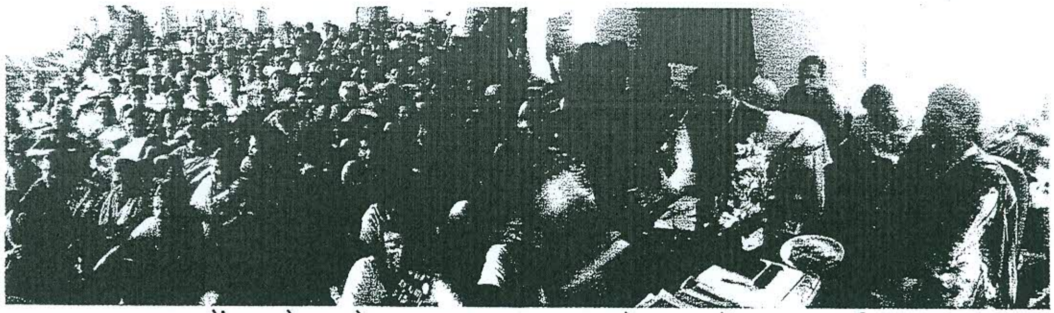

ग्राम बड़ानन्दा में मनरेगा के तहत कुल 53 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 482 (पी.एच.) कार्डधारियों एवं 570 (ए.ए.वाई.) कार्डधारियों को कार्य दिया जा रहा है। प्रखण्ड में IGNOAPS योजना के तहत 80+ व 60+ के क्रमशः 6 एवं 82 वृयोवृद्धों को पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसमें से क्रमशः 5 व 76 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी है। IGNOAPS के तहत अनुसूचित जनजाति के 01, SSOAPS योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 20 सदस्यों तथा IGNWPS के तहत अनुसूचित जनजाति के 02 सदस्यों को जिला प्रशासन द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्षवार लाभार्थियों का विवरण निम्नवत है।

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2010-11	50
2011-12	12
2012-13	28
2013-14	21
2014-15	07
2015-16	13

ग्राम बडानन्दा में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, एक प्राथमिक तथा एक उच्च विद्यालय एवं कुल 04 आंगनबाड़ी केन्द्र है। प्राथमिक विद्यालय में 2 नियमित अध्यापक तथा 2 पैरा अध्यापक हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 5 अध्यापक है। वर्तमान में इन विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात 80:1 है, जिस पर माननीय आयोग द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि राजकीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 होना चाहिये। सिक्किम जैसे राज्यों में तो छात्र शिक्षक अनुपात 16:1 है। झारखण्ड राज्य को भी शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतू आदर्श छात्र अनुपात कायम करना चाहिये।

(अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा)

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम बड़ानन्दा में कुल 62 चापाकल है । जिसमें से 24 खराब है तथा 38 चालू स्थिति में है । पेयजल आपूर्ति के लिये खराब चापाकलों को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है । टोला लोभापी तथा वार्ड संख्या 60 में चापाकल मे लाल रंग का पानी आने की भी शिकायत प्राप्त हुई । माननीय आयोग ने प्रखण्ड अधिकारियों को तत्काल चापाकलों की जल गुणवता का परीक्षण कर उन्हें हरे तथा लाल रंग द्वारा पेन्ट कर जल पीने लायक है अथवा नहीं । इसकी जानकारी देने हेतु निर्देशित किया ।

(अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा)

स्वास्थ्य सेवाओं पर ग्रामवासियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया । उपस्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक, ए.एन.एम., कम्पाउंडर तथा नर्सों का अभाव है । एम्बुलेंस सुविधा भी नाम मात्र की है । इस पर माननीय आयोग द्वारा जिला प्रशासन को बायोमैट्रिक्स उपस्थिति की सुविधा प्रदान कर उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार का सुझाव दिया ।

(अनुवृति कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा)

सरबिल तथा मासोसाई टोला में ग्रामीणों द्वारा आंगनबाड़ी स्वीकृत करने की मांग की गई । आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं मनरेगा के तहत पारिश्रमिक का भुगतान समय पर नहीं मिलने की शिकायते आयोग को प्राप्त हुई ।

(अनुवृति कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा)

वार्ड संख्या 2 के राशन डीलर श्री सोनाराम के विरूद्ध राशन आपूर्ति के संबंध में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत पर माननीय आयोग ने जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया । जन वितरण योजना पी.डी.एस. महिला मण्डलों के द्वारा संचालित करने का सुझाव माननीय आयोग द्वारा दिया गया ।

(अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा)

ग्रामीणों द्वारा पुराने तालाबों की मरम्मत, भूमि संरक्षण तथा जोर्णोदार के कार्य मनरेगा के तहत करवाने की मांग आयोग के समक्ष रखी । प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उच्च विद्यालयों प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजने का भी विरोध एवं शिकायत की गई । लिफ्ट सिंचाई सुविधाओं का विकास, पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के संबंध में मांगे रखी ।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

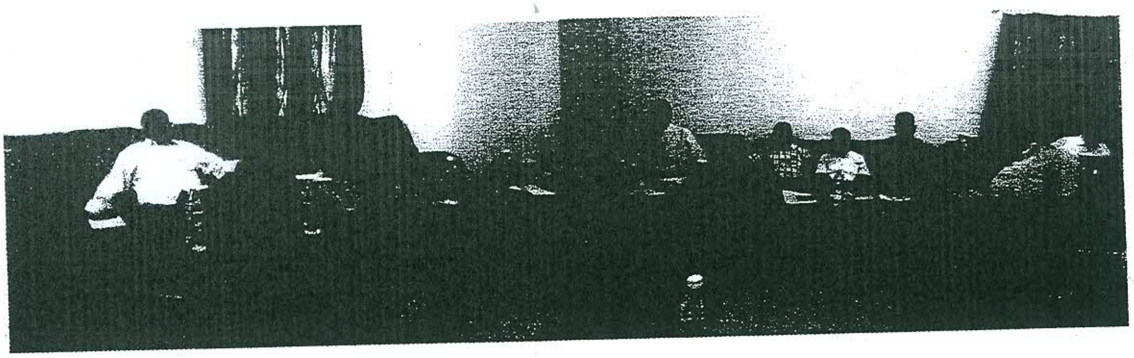

प्रखण्ड में कुल 53 दावे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्राप्त हुये थे । जिनमें सभी को स्वीकार कर लिया जाना बताया गया, परन्तु ग्राम का सामुदायिक दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

माननीय आयोग द्वारा दिनांक 08/06/2016 को पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक परिसदन चाईबासा में ली गई । बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची अनुलग्नक 1 पर संलग्न है ।

बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों की प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट एवं जिला प्रशासन को आयोग मुख्यालय द्वारा प्रेषित प्रश्नावली पर प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक 2 पर संलग्न है ।

उपायुक्त जिला पश्चिम सिंहभूम ने माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया कि जिलें में कुल 302046 आवासों की संख्या है तथा जिले की कुल जनसंख्या 1502338 है, जिसमें से 1011296 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है । जिले की साक्षरता प्रतिशत 48 है, जिसमें से महिला साक्षरता 39 प्रतिशत है । अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर उपलब्ध नहीं है ।

अप्रैल 2016 में विद्यालय चले-चलाएँ अभियान के दौरान 11245 बच्चों का नामांकन किया गया । प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन प्रतिशत 98.95 है । प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोडने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत 1.05 है । माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के 87.61 प्रतिशत बच्चे अध्ययनरत है तथा स्कूल छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत 14.13 है ।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हाई स्कूल स्तर पर अनुसूचित जनजाति के 4.30 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड देते है । कल्याण विभाग द्वारा जिले में कुल 49 छात्रावास संचालित किये जा रहे है । जिनमें हाई स्तर पर 1400 छात्र एवं 500 छात्रायें अध्ययनरत है । कालेज स्तर पर 450 छात्र तथा 350 छात्रायें अध्ययनरत है । विभाग द्वारा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों पर छात्रवृति एवं अन्य कोई खर्च नहीं किया जाता है । किन्तु उनके आवासन हेतु मांग अनुसार समय-समय पर बड़े मच्छरदानी, चादर, तकिया, गद्दा, आयरन कोट, कुर्सी, मेज, खाना बनाने के बर्तन इत्यादि उपलब्ध कराये जाते है ।

वर्ष 2015-16 में कुल 163052 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाये गये ।

कृषि विभागों द्वारा अनुसूचित जनजाति के किसानों की संख्या, कृषि भूमि का मालिकाना हक तथा कृषि विभाग की योजनाओं के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के आंकडे उपलब्ध नहीं कराये गये ।

जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2622 पुरूष तथा 894 महिला बेरोजगार पंजीकृत है । जिनमें से 2298 कुशल, 73 अकुशल, 497 कला स्नातक, 46 विज्ञान स्नातक तथा 602 तकनीकि निगम द्वारा वाहन ऋण के अतिरिक्त कोई अन्य विशेष योजनाओं संचालित नहीं की जा रही है ।

आयोग की प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 27 से 44 तक तथा 46 से 56 तक की प्रगति रिपोर्ट अपूर्ण अथवा आंकड़े उपलब्ध ही नहीं कराये गये ।

अनूसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2013-14, 2014-15 में कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया । वर्ष 2015-16 में 8 मामले दर्ज हुये, जिसमें से 2 में अनुसंधान कार्य जारी है । 6 प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा भी प्रदान किया जाना बताया गया ।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

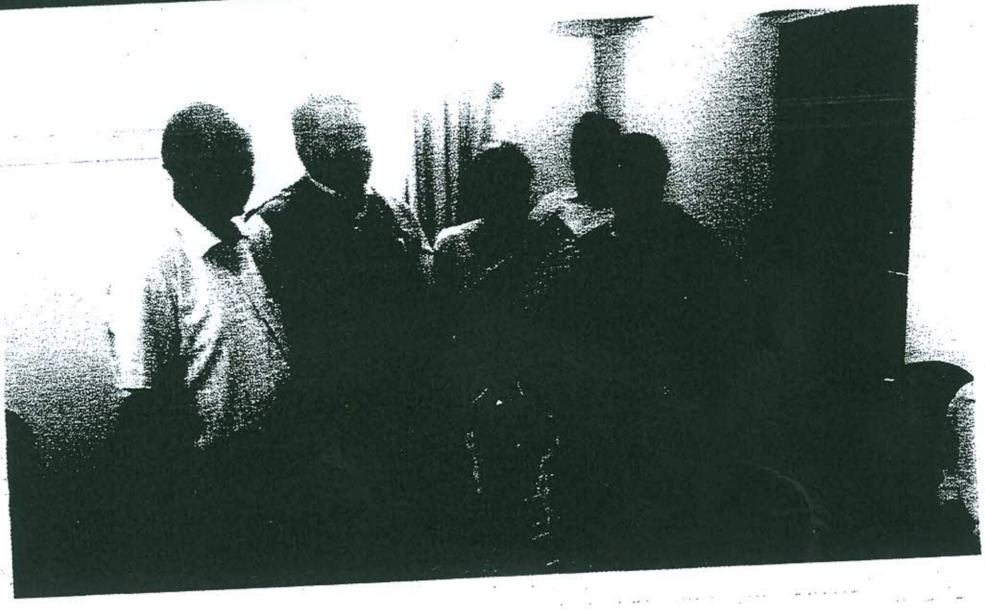

सुझाव एवं जिला प्रशासन के लिये अनुवृति कार्यवाहीः-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला प्रशासन को जिले में पुनः मुण्डा प्रणाली लागू करने के लिये सुझाव दिया ।

2. सियालजोड़ा गाँव की प्लॉट नं. 16 की 30 एकड़ सरकारी जमीन पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जानी चाहिये ।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. जिले में खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने, बड़ानन्दा गाँव में राशन कार्ड बनवाने तथा सभी राशन डीलरो की समय-समय पर जाँच करने हेतु सुझाव दिया ।

4. सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई की सुविधा दी जानी चाहिये ।

5. स्वयं सहायता समूह कृषि आधारित परियोजना से संबंधित होना चाहिये । उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये ।

6. ग्रामीणों को लघु वन उत्पाद इत्यादि के उपयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक दावा का अधिकार जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिये ।

7. जनजाति उपयोजना मद का उपयोजना जिला मुख्यालय के विकास कार्यों में नहीं होना चाहिये ।

8. जनजाति उपयोजना का पैसा जनजातीय क्षेत्रों में ही खर्च हो अन्य स्थानों पर नहीं । इसको रोकने के लिये झारखण्ड राज्य सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार की भांति अधिनियम बनाकर पालना सुनिश्चित करावे ।

9. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पूर्ण किये बिना न की जाये । जिन प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण किये बिना ऐसा किया जाता है । उस प्रकरण में अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट राजकीय अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज करवाई जाये ।

10. राज्य सरकार सभी विकास योजनाओं की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करें ।

11. सभी राजकीय विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्मिकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक्स के द्वारा सुनिश्चित की जाये, जिससे गुणवता में सुधार हो ।

12. आदिम जनजाति के शैक्षणिक योग्यता प्राप्त युवाओं को सीधे ही राजकीय सेवा का प्रावधान है । श्री दशरथ बिरहोर एवं श्री विष्णु बिरहोर निवासी टाटीबा, चाईबासा को राजकीय सेवा प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन को तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये ।

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया ।

रामेश्वर उराँव

(डा. रामेश्वर उराँव)

अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi